ज्ञाप संख्या–स्था0 / सा0–01–15 / 2016–......................... /

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

सेवा में ,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– ....मार्च, 2016

विषयः– **स्व0 मो0 शमीम, भू0पू0 आशुलिपिक, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना के बिहार सरकार कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा योजनान्तर्गत रू0 32,150/– (बत्तीस हजार एक सौ पचास रूपये) मात्र के भुगतान के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना के स्व0 मो0 शमीम, भू0पू0 आशुलिपिक का निधन दिनांक–22.09.2013 को हो गया था। स्व0 मो0 शमीम (अविवाहित) को बिहार सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा नियमावली वर्ष 1979 के नियम–14 एवं अधिसूचना संख्या–2757 दिनांक 24.04.98 के नई ग्रुप बीमा 1997 के अन्तर्गत रू0 32,150/– (बत्तीस हजार एक सौ पचास रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। जिसका भुगतान स्व0 मो0 शमीम के बड़े भाई मो0 जैनुद्दीन को किया जायगा।

1. **नई ग्रुप बीमा योजना के अन्र्तगत उनके अंशदान एवं संचित राशि की गणना निम्नवत है :–**

(I) दिनांक अप्रैल, 2007 से सितम्बर, 2013 तक रू0 30 प्रतिमाह की दर से अंशदान	78 माह X 30 =	रू0	2340=00
(II) अंशदान की बीमा निधि की राशि 30%		रू0	702 =00
(III) अंशदान की बचत निधि की राशि 70%		रू0	1638=00
इस बचत निधि की राशि पर 8% की दर (त्रैमासिक) ब्याज		रू0	512=00

बचत निधि एवं ब्याज का योग 1638 + 512 = रू0 2,150/–(दो हजार एक सौ पचास रूपये) मात्र
नई ग्रुप बीमा योजना नियमावली 1997 के नियम 4(II) के अधीन भुगतेय राशि 30,000/–

कुल भुगतेय राशि 2150 + 30,000 = 32,150/– (बत्तीस हजार एक सौ पचास रूपये) मात्र

3. स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जाएगी और निकासी के पश्चात् इसका भुगतान स्व0 मो0 शमीम के बड़े भाई मो0 जैनुद्दीन को की जायेगी।
4. इस राशि की निकासी शीर्ष–मुख्य शीर्ष ''8011–बीमा और पेंशन निधियॉ (व्यय) लघु शीर्ष–105–राज्य सरकार बीमा निधि, उप शीर्ष–0001 राज्य सरकार बीमा निधि से किया जायेगा।
5. वित्त विभाग के पत्रांक–2618 दिनांक 31.03.2002 के आलोक में विपत्र कोड संख्या–एल–8011001050001 है।
6. इसमें सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(राजभूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञापांक– पटना दिनांक .... मार्च, 2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–263 पटना दिनांक ......18... मार्च, 2016,

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना

लेखा शाखा, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)

आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना

मो0 जैनुद्दीन, मुहल्ला–राम अवतार खत्री लेन, हमाम पथ, पो0–झाउगंज, पटना सिटी, जिला–पटना

दफ्तरी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(–) केवल लेखा शाखा के लिए

18.3.16

सरकार के अवर सचिव।

18/3